


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण ...  
दिनांक ...19-01-2023... को किया जा चुका है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा(खैरथल-तिजारा)



न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

इसे खॉ बनाम इस्सन वगैरा

हुकम का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज

प्रार्थना पत्र - 212 जा0दी0 संख्या 512 वर्ष 2022

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तारीख में जारी हुए

तारीख  
हुकम

14.11.2022

आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।  
अतः अप्रार्थीगण को आगामी पेशी 04-12-2022 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबन्द किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 192 रकबा 0.16, 193/0.16 हैक्ट. वाके ग्राम अलापुर जट्ट तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) पर प्रार्थी के हिस्से तक मौका की यथास्थिति बनाये रखने के लिए अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है।

क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावे? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थीगण वास्ते तलबी अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलबाने सात दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है, बाद तलवी पत्रावली वाद के साथ पेश हों।

04 12

आज फाफली पेश हुई।... 5.11.2022  
उपस्थित पत्रावली मूल दावा के साथ दिनांक  
06.10.2023 को पेश हो।

*Signature*

उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

19.01.23

आज पत्रावली प्रार्थी के क्विडो दा. फग फग फग  
वाद के साथ तलब हजिर पेश की जा फग फग  
लगावले मूल दावा क्विडो रा कारिज हो जाया  
है फता जाधना फग कारिज रिपा. जाया  
बाद क्विडो तलबी मूल दावा के रा  
हिर ललाफ मूल दावा की



उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा (अलवर) राज0

उक्त पत्रावली  
में दावेचाल  
पाएगा है



31 इलब  
ज. 12/11